

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	सितंबर 2023 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	10477	1031	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2363	5	0	2110
3	असम	6460	81	0	0
4	बिहार	8464	-	0	1200
5	छत्तीसगढ़	6666	5	1	3550
6	गोवा	863	415	0	0
7	गुजरात	12112	605	0	21000
8	हरियाणा	1851	1542	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर यूटी	-	-	0	0
11	झारखंड	1629	-	0	0
12	कर्नाटक	16628	471	0	34983
13	केरल	2771	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1158	0	0
15	महाराष्ट्र	61978	1523	0	4000
16	मणिपुर	63	127	0	0
17	मेघालय	1070	84	8	0
18	मिज़ोरम	385	44	0	0
19	नगालैंड	1615	42	0	0
20	उड़ीसा	16486	1852	106	21757
21	पुदुचेरी	490	-	0	1250
22	पंजाब	7625	0	0	0
23	राजस्थान	-	-	129	11600
24	तमिलनाडु	8461	-	0	2842
25	तेलंगाना	7166	1568	0	0
26	त्रिपुरा	1017	22	0	825
27	उत्तराखंड	4554	192	0	0
28	उत्तर प्रदेश	6448	-	89	0
29	पश्चिम बंगाल	11563	845	239	0
	कुल	199203	11613	572	105117

टिप्पणियां: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।

2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।

3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।